न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

मुकदमा नम्बर 43/17 **तारीख रजु** 24.7.17 **दिनांक** 18-10-2017

पीठासीन अधिकारी महेंद्र सिंह यादव आर. ए. एस.

1. घासी लाल पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी सिकन्दरपुर तहसील नादौती जिला करौली !

सायल

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र सिरमोहर उम्र 58 वर्ष जाति गुर्जर निवासी बाड़ावाजिदपुर (भूतनकापूरा) तहसील नादौती जिला करौली !
2. राजाराम पुत्र सिरमोहर उम्र 58 वर्ष जाति गुर्जर निवासी बाड़ावाजिदपुर (भूतनकापूरा) तहसील नादौती जिला करौली !

गैरसायलान

<u>प्रार्थना पत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 212 RT Act.</u>

निर्णय दिनांक 18-10-2017

पत्रावली आज पेश हुई सूक्ष्म विवरण इस प्रकार है कि सायल की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान इस आशय पर पेश किया की ग्राम सिकन्दरपुर की आराजी खसरा नंबर 165 रकबा 0.33 हेक्ट. स्थित ग्राम सिकन्दरपुर पटवार हल्का नादौती- बी तहसील नादौती जिला करौली है। जो सायल की खातेदारी एवंम काश्तकारी भूमि है। जिसका इन्द्राज हाल जमाबंदी 2072- 75 में दर्ज रेवन्यु रिकॉर्ड है ! जिसको काश्त कर सायल

अपने एवं अपने परिवार का जीवन यापन करते है। उक्त भूमि से अन्य किसी दिगर व्यक्ति या गैरसायलान का कोई लेना देना नही है । दिनांक 20-06-2017 को जब सायल अपनी खातेदारी एवं कास्तकारी भूमि पर कास्त करने गया तभी गैरसायलान संख्या 1 व 2 एक राय होकर आ गये एवं कहने लगे की उक्त भूमि को हम तुम्हे कास्त नही करने देंगे या तो तुम उक्त भूमि को हमे औने पौने दामो पर हमे बेच दो नही तो हम तुम्हे इस भूमि पर कस्त नही करने देंगे एवं उक्त भूमि पर जबरन कब्ज़ा कर लेंगे !इस गाँव में हमारा जूता राज करता है ! तुम हमारा कुछ नही बिगाड़ सकते तो सायल ने काफी समझाने का प्रयास किया कि उक्त हमारी खातेदारी भूमि में आप हमे शान्ति पूर्वक कस्त करने दे किन्तु गैरसायलान मानने को तैयार नही है ! अत: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से इस अम्र का पाबंद फ़रमाया जाये कि वे आराजी हाल खसरा नम्बर 165 रकवा 0.33 हेक्ट. स्थित ग्राम सिकन्दरपुर पटवार हल्का नादौती- बी तहसील नादौती जो कि सायल कि खातेदारी भूमि है में सायल को शान्तिपूर्ण कास्त करने देवे एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं पैदा करे एवं ना ही किसी अन्य से करावे ! प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर गैरसायलान को वास्ते पेश करने जवाब नोटिस जारी किया गया ! नोटिस बाद तामिल शामिल पत्रावली किये गये ।

गैरसायलान ने अपने जवाब में अबगत कराया की आराजी खसरा नम्बर 165 रकवा 0.33 हेक्ट. स्थित ग्राम सिकन्दरपुर पटवार हल्का नादौती- बी तहसील नादौती सायल की खातेदारी की भूमि जरूर है मगर सम्बत 2038 से उक्त आराजी पर गैरसायलान की कब्ज़े कास्त की भूमि रही है गैरसायलान उक्त आराजी पर काफी लम्बे अरसे से बिना किसी बाधा के काबिज़ कास्त करते चले आरहे है तथा सायल व उसके भाई हरिसिंह ने आराजी हाल खसरा नम्बर 165 रकवा 0.33 व खसरा नम्बर 166 रकवा

0.42 स्थित ग्राम सिकन्दरपुर के बदले में गैर सायलान से भादवा बुदी २ सम्बत 2038 में 6000 रुपए लेकर गैरसायलान के गिरवी रखा था और तय हुआ था कि गैरसायलान 6000 रुपए का सायलान से कोई ब्याज नही लेंगे जिसके बदले में आराजी हाल खसरा नम्बर 165 व 166 को गैरसायलान कास्त करते रहेंगे ! तभी से उक्त आराजी पर गैरसायलान काबिज़ कास्त है! तथा सायल व उसके भाई हरि सिंह ने इस्तगासा 107, 116 सी.आर.पी.सी. में स्वीकार किया है ! यदि सायल व उसका भाई हरि सिंह अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो गये तो गैरसायलान को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी द्रव्य से भी किया जाना संभव नही होगी ! तथा प्राइमफेसी केस व सूविधा का संतुलन गैरसायलान के पक्ष में वखूबी साबित है इसलिए सायल कोसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना न्यायोचित है ! जवाब सामिल पत्रावली किया जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई !

वकील सायल द्वारा अपने कथन में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए अवगत कराया गया की आराजी खसरा नम्बर 165 रकवा 0.33 व 166 रकवा 0.42 ग्राम सिकन्दरपुर का सायल रिकार्डेड कास्तकार है जिस पर सायल काबिज़ है ! वकील गैरसायलान ने प्रस्तुत जवावी दस्तावेज में भादवा बुदी २ सम्बत 2038 में 6000 रुपए लेकर गैरसायलान के गिरवी रखना तथा सम्बत 2041 में सायल व उसके भाई हरिसिंह के जरुरत पड़ने पर 50,000(पचास हज़ार) रुपए ब्याज पर दौराने इस्तगासा 107,116 सी.आर.पी.सी. के बयानों में लेना बताया! जबकि वकील गैरसायलान ने 50,000(पचास हज़ार) रुपए के लेनदेन की सम्बत 2041 का ऐसा कोई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जो यह साबित करता हो की सायल व उसके भाई हरि सिंह ने रुपए ब्याज पर उधार लिए हो! पुलिस थाने में सायल व उसके भाई द्वारा ऐसे किसी भी प्रकार के बयान देने से इनकार

लगातार पेज.....

किया सायल व उसके भाई से खाली पेपर पर हस्ताक्षर लेना बताया और साथ ही कहा की थाने में पुलिस के समक्ष दिये कोई भी बयान न्यायालय में रिकार्डेड दस्तावेजी सबूत नही हो सकते ! वकील गैरसायल ने अपने जवाब में अवगत कराया की 2038 में सायल व उसके भाई ने गैरसायलान के गिरवी रखना बताया **जबकि कोई भी गिरवीनामा आर. टी. एक्ट की धारा 43 (2) के तहत अवधि** विनिर्दिष्ट न होने की दशा में बंधपत्र 6 वर्ष का होना समझा जायेगा तथा आर.टी. एक्ट की धारा 43(4) में बंधक विलेख में उल्लेखित अवधि खतम होने पर या उसके निष्पादन की तारीख से दीस वर्ष बाद जो भी अवधि कम हो बंधककर्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई संदाय किये बिना पूर्ण रूप से चुकाया समझा जएगा और तदानुसार ऋण निष्पादित होना समझा जएगा और तदोपरांत बंधकाधीन भूमि का मोचन कर बन्धककर्ता को कब्ज़ा संभला दिया जायेगा ! तथा कोई भी अपंजीकृत दस्ताबेज के आधार पर अधिकार या स्वतत्व प्राप्त नहीं हो सकते ! सबूत में वकील सायल ने **बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू फॉर राज. अजमेर आर.आर.टी. 2016 (1) रामप्रताप बनाम कमला बाई पेज न. 723** पेश की ! अत: गैरसायलान को ताफैंसला दावा इस अम से पाबंद फरमाया जावे की सायल की कब्जा कास्त में किसी प्रकार की मज़ाहमत मदाखलत पैदा ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे !

वाकील गैरसायलान ने बहस के दौरान अपने अभिकथन में जवाब में अंकित बिन्दुओ को दौराते हुए अवगत कराया की माननीय उच्च न्यायालय में अपने निर्णय उनवानी प्रकरण बाबु व अन्य बनाम श्योकरण से आर.टी. 2001 (1) पेज 49 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है अगर कोई अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर भूमि पर काबिज़ हुए है तथा उनका कब्ज़ा वर्तमान में भी विवादित भूमि पर बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में उनके पक्ष में प्रथम द्रष्टया मामला बन रहा है तथा सुविधा का संतुलन भी उन्ही के पक्ष में है क्युकी विवादित भूमि को हस्तांतरित या खुर्द बुर्द किया

जाता है तो उन्हें अपूर्तनीय क्षति होगी ! ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार को भूमि के उस हिस्से को रहन बय न करने से पावंद किया जाना उचित है! गैरसायलान अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर पिछले 38 वर्ष से काबिज कास्त है ! अत: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व काउंटर टी.आई. मय खर्चा खारिज फरमाया जावे !

उभय पक्षकारान के अभिवचनों पर मनन करने तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है की सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 212 आर.टी. एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है !

अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 को को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि सायल की खातेदारी भूमि खसरा न. 165 रकवा 0.33 हेक्ट. वाके ग्राम सिकन्दरपुर के कब्जा काश्त में में किसी प्रकार की मज़ाहमत मदाखलत पैदा ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे !

पत्रावली फैसल सुमार मानी जाकर वाद तकमील नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो !

निर्णय आज दिनांक 18.10.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया !

दिनांक 18-10-17

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नादौती (करौली)